क्रमांक 6317-1 जी0एस0 -70/21313

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

सेवा में

1. सभी विभागीय अध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला मण्डल
तथा सभी उपायुक्त और उप मण्डल अधिकारी हरियाणा ।

2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्चन्यायालय चण्डीगढ़ और सभी जिला तथा सत्र न्यायाधीश, हरियाणा ।

दिनांक चण्डीगढ़ 20 अगस्त, 1970

विषय:- तदर्थ आधार पर विभागों द्वारा नियुक्तियां तथा हरियाणा लोक सेवा आयोग के पास भेजी गई मांगे ।

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय पर आपको लिखने का निदेश हुआ है कि मैं आप को यह कहूं कि हरियाणा लोक सेवा आयोग के अपनी 1968-69 की वार्षिक रिपोर्ट में निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान दिलाया है ।

(1) विभिन्न पदों की सीधी नियुक्ति के मांग-पत्र ठीक प्रकार से नहीं भरे पाए गए जिसके कारण उन्हें लौटाया गया जिसके फलस्वरुप काम में निवार्य देरी हुई ;

(2) विभागों ने अपने विभागीय उम्मीदवारों के आवेदन-पत्र आयोग में प्राप्ति की अन्तिम तिथि से पहले अग्रेषित करने में चूक की जिसके कारण वे चयन का सुअवर न प्राप्त कर सके ;

(3) नई भर्ती पर प्रतिबन्ध होने के बावजूद तदर्थ नियुक्तियां की गई ; और

(4) लगभग सब तदर्थ नियुक्त व्यक्तियों को आयोग का पूर्व अनुमोदन लिए बिना छह मास से आगे सेवा में चलने दिया गया ।

2. इन बातों पर सरकार ने विचार किया और इन पर इस प्रकार निर्णय किया गया है—

(1) सरकार ने अपने पत्र संख्या 7048-5 जी0एस0-69/1676 दि0 26 जनवरी 1969 द्वारा सभी प्रशासकीय सचिवों तथा विभागाध्यक्षों को हिदायतें जारी की थी कि आयोग को भेजे जाने वाले मांग पत्र भली भांती और पूर्ण रुप से भरे होने चाहिएं । यह जरुरी है कि आयोग की बातों को ध्यान में रखा जाये और सरकार द्वारा जारी की गई हिदायतों का कठोरता से पालन किया जाए ताकि जो देरी आयोग को दोबारा सहबारा पत्र-व्यवहार करने से पदों को भरने से होती है उसे आगे के लिए समाप्त किया जा सके ।

(2) यह अतीव खेद की बात है कि विभाग की ओर से विभागीय उम्मीदवारों के आवेदन पत्र ठीक समय में भेजने की चूक के कारण उन्हें हानि हो । विभागाध्यक्ष व्यक्तिगत तौर पर यह सुनिश्चित करें कि ऐसी भर्ती भविष्य में न हों और विभागीय पात्र उम्मीदवारों के आवेदन पत्र आयोग की प्राप्ति तिथि से पूर्व लोक सेवा आयोग में ठीक समय पर भेज दिये जाते है यह विभागीय उम्मीदवारों के हितों तथा पदों के उचित चयन के लिये जरूरी है ।

हिदायतों की ओर दिलाया जाता है । जिसके द्वारा गैर तकनीकी पदों पर नई भर्ती करने पर प्रतिबन्ध लगाया गया था और यह निदेश दिया गया था कि मुख्य सचिव के कार्यालय से पूर्व अनुमति हासिल किए बिना ऐसे पदों पर भर्ती न की जाए। मुझे प्रभाव सहित यह कहना है कि यह प्रतिबन्ध तदर्थ तथा नियमित दोनों प्रकार की भर्ती पर लागू होता है । और ऐसी सभी नियुक्तियों को भरने से पहले मुख्य सचिव की अनुमति लेना आवश्यक है ।

(4) तदर्थ नियुक्तियों के सम्बन्ध में सरकारी पत्र संख्या 2939 जी0 एस0–54/21013 दिनांक 7 अप्रैल, 1964 तथा 5999–5 जी0 एस0–69/23700 दिनांक 24/27 अक्तूबर 1968 में दिये गये अनुदेशों के अनुसार नियुक्ति करने वाले अधिकारी नियुक्ति-आदेश की प्रति का पृष्ठांकन आयोग को करें । नियुक्ति अवधि लोक सेवा आयोग की अनुमति के बिना न बढ़ाई जाये चाहे इसमें कितनी ही अवधि बढ़ाने का प्रश्न क्यों न हो । और ऐसी नियुक्ति के सम्बन्ध में 15 दिनों के भीतर ही आयोग को भली प्रकार से भरा हुआ मांग-पत्र भेजा जाये । यह बात ठीक है कि तदर्थ रूप से नियुक्तियां कई केसों में काम के हित को देखते हुए की जाती हैं, लेकिन इस बारे में सरकार को यह कहना है कि (क) ऐसे सब केसों में उपयुंक्त सरकारी अनुदेशों के परिपालन में आयोग को मांग-पत्र शीघ्रता से भेज देना चाहिए, (ख) तदर्थ रूप से भरी हुई नियुक्तियों की सूचना आयोग को भेज देनी चाहिए (ग) नियत समय के आगे तदर्थ व्यवस्था की अवधि बढ़ाने के लिए आयोग की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है ; और (घ) आयोग की रिफारिशें प्राप्त होते ही तदर्थ नियुक्ति समाप्त कर नी दी जानी चाहिए और आयोग द्वारा सिफारिश किया गया व्यक्ति नियुक्त कर दिया जाए ।

इसके साथ ही सरकार का यह विचार है कि सम्बन्धित प्रशासकीय सचिवों का यह देखना दायत्व होगा कि नियुक्ति अधिकारी उपर्युक्त अनुदेशों का पालन करने में कोई चूक न करें और इस मामले पर वह व्यक्तिगत तौर पर ध्यान दें । इसलिए यह निश्चय किया गया है कि प्रत्येक विभागाध्यक्ष तदर्थ नियुक्ति सम्बन्धी मासिक-विवरण-पत्र (प्रोफार्मा संलग्न) प्रतिमास 7 तारीख को सम्बन्धित प्रशासकीय सचिव को भेजे । इस विवरणी की पडताल करने की जिम्मेदारी प्रशासनिक विभाग की होगी कि वह सुनिश्चित करें कि हिदायतों के अनुसरण में किसी प्रकार की अनियमितता तो नहीं की जा रही है ।

3. प्रार्थना है कि इस पत्र की पावति भेजी जाए तथा इसमें दी गई हिदायतों का सावधानी से पालन किया जाए।

भवदीय,
हस्ता :
उप सचिव राजनैतिक तथा सेवाएं,
कृते मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।